

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मई 2017—ज्येष्ठ 8, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 21.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएं

(अ) शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय

(ब) विश्वविद्यालय

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.6	(अ) उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन. (स्वशासी महाविद्यालय).	प्राचार्य	5 कार्य दिवस.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा.	7 कार्य दिवस.	आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा.
	(ब) उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन.	उप कुलसचिव	5 कार्य दिवस.	कुलसचिव	7 कार्य दिवस.	आयुक्त उच्च शिक्षा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.7	(अ) काशँनमनी की वापसी (समस्त महाविद्यालय).	प्राचार्य	5 कार्य दिवस.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा.	7 कार्य दिवस.	आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा.
	(ब) काशँनमनी की वापसी (समस्त महाविद्यालय).	उप कुलसचिव	5 कार्य दिवस.	कुलसचिव	7 कार्य दिवस.	आयुक्त उच्च शिक्षा.
21.8	(अ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र समस्त महाविद्यालय).	प्राचार्य	5 कार्य दिवस.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग.	7 कार्य दिवस.	आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा.
	(ब) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (समस्त महाविद्यालय).	उप कुलसचिव	5 कार्य दिवस.	कुलसचिव	7 कार्य दिवस.	आयुक्त उच्च शिक्षा.
21.9	(अ) चरित्र प्रमाण-पत्र समस्त महाविद्यालय).	प्राचार्य	5 कार्य दिवस.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा.	7 कार्य दिवस.	आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा.
	(ब) चरित्र प्रमाण-पत्र (समस्त महाविद्यालय).	उप कुलसचिव	5 कार्य दिवस.	कुल सचिव	7 कार्य दिवस.	आयुक्त उच्च शिक्षा.
21.10	(अ) दस्तावेजों का सत्यापन (समस्त महाविद्यालय).	प्राचार्य	5 कार्य दिवस.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा.	7 कार्य दिवस.	आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा.
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन (समस्त महाविद्यालय).	उप कुलसचिव	5 कार्य दिवस.	कुल सचिव	7 कार्य दिवस.	आयुक्त उच्च शिक्षा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.